02
2016

A6
1

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉं, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 02/16

1. गुरदेवसिंह पुत्र पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।
2. साहबसिंह (मृतक) जरिये वारिसान
2.1 जसकौरसिंह
2.2 बलराजसिंह
2.3 गुरमेलसिंह
2.4 बलवीरसिंह
2.5 सतपालसिंह
2.6 सरजीतकौर
पुत्र/पुत्री साहबसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तहसील रायसिंहनगर।
3. अजबसिंह
4. नायबसिंह
5. बगड़सिंह
6. जगदेवसिंह
7. नत्थासिंह
पुत्रगण हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तहसील रायसिंहनगर।
8. सलविन्द्र
9. निर्भयसिंह
10. गुरचरणसिंह
11. दर्शनसिंह
12. मिठुसिंह
पुत्रगण ठानासिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तहसील रायसिंहनगर।
13. गुरमेलसिंह
14. तेजासिंह
15. मलसिंह उर्फ गोविन्द
पुत्रगण मुन्शासिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तहसील रायसिंहनगर।
16. गुरदीपसिंह
17. हकीकसिंह
18. जीतसिंह
19. हरमीतसिंह पुत्रगण विचित्रसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तह0 रायसिंहनगर।
20. मखनसिंह (मृतक) जरिये वारिसान
20.1 गुड्डी पुत्री मक्खनसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तहसील रायसिंहनगर।
21. मन्दरसिंह पुत्र विचित्रसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तहसील रायसिंहनगर।

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

02/2016 - A6/2

22. सुरजीतसिंह पुत्र विचित्रसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तहसील रायसिंहनगर।
23. मेहरसिंह
24. अजमेरसिंह
25. तोतासिंह उर्फ तोलासिंह
26. सादुलसिंह उर्फ सादुसिंह
पुत्रगण मितसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तहसील राययिंहनगर।
27. बागासिंह
28. चन्दसिंह
29. हरबंशसिंह
पुत्रगण मितसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम एल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. लेखु पुत्र लादु कुम्हार निवासी 32 एम एल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति : 1. श्री फलभूरसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से।

आदेश — दिनांक : 17–3–17

प्रस्तुत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील एल0आर0 एक्ट सं0 582/02 अनवान गुरदेवसिंह वगैरा बनाम स्टेट व लेखु में पारित आदेश दिनांक 14–03–16 के अनुसरण में रिमाण्ड होकर इस निर्देश के साथ इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है कि धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन की कार्यवाही की जावे। पूर्व में जमा शमन राशि को समायोजित कर ली जावे। अगर कोई अन्तर राशि हो तो अपीलांट से जमा करवा ली जावे।

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 32 एम एल मु0 नं0 27 की 12.10 बीघा नहरी भूमि लेखू पुत्र लादू को पुख्ता आवंटन हुई थी। उसने बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त किये व धारा 13 राज0 उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जिला कलक्टर महोदय की स्वीकृति लिये बिना, विवादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया गया। बेचान की गई भूमि फ्रेगमेन्ट की तारीफ में आती है। धारा 13 के उल्लघंन में तहसीलदार, रायसिंहनगर के प्रतिवेदन पर केतागण साधुसिंह वगैरा के खिलाफ कार्यवाही की गई। अति0 कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 15–10–85 को निर्णय पारित कर विवादित आराजी बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील दायर हुई, जिसके निर्णय दिनांक 20.6.89 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–10–85 निरस्त कर, प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया। रिमाण्ड आदेश के उपरांत विधिक कार्यवाही कर, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30–5–96 को आदेश पारित कर, धारा 13ए के प्रावधानों के

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

2016

A6
3

उल्लघंन में बेचान की गई भूमि चक 32 ए मु0 नं0 27 की 12.10 बीघा भूमि बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश दिये गये तथा जमा शुदा राशि बहक सरकार जब्त किये जाने के आदेश दिये गये । निर्णय दिनांक 30–5–96 के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रथम अपील सं0 299/96 गुरदेवसिंह बनाम राज्य , राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 5–9–01 द्वारा अपील खारिज कर दी गई। हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–5–96 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय 5–9–01 से व्यथित द्वितीय अपील में मा0 राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 14–3–16 पारित कर, प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया है।

माननीय राजस्व मण्डल से प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मा0 मण्डल के आदेश की पालना में पक्षकारान की ओर से अधिवक्तागण द्वारा वकालतनामे पेश किये गये। मा0 मण्डल के आदेश की पालना मे अन्तर राशि के संबंध में डी0आर0ए0 से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार केतागण ने दिनांक 16–3–17 को अंतर राशि जरिये चालान जमा करवाई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

केतागण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 14–3–16 की पालना में, डी0आर0ए0 द्वारा रिपोर्ट में निर्धारित की गई अंतर राशि जमा करवा दी गई है। अन्य कोई राशि बकाया नहीं है। अतः नियमन आदेश जारी किया जाना चाहिये।

राजकीय अधिवक्ता ने माननीय मण्डल के आदेश एवं अन्तर राशि जमा कराने तथा नियमन आदेश जारी नहीं किये जाने का विरोध नहीं किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा द्वितीय अपील सं0 582/02 निर्णय दिनांक 14–3–16 का गहनता से अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14–3–16 में आदेश पारित किया गया है कि धारा 13 में राज्य सरकार द्वारा धारा 13–ए व धारा 13ए(1–ए) प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं। धारा 13 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रतिकूल हस्तान्तरण को उपरोक्त प्रावधान के तहत विधिमान्य घोषित करने का प्रावधान कर दिया गया है। विवादग्रस्त भूमि खातेदारी भूमि है। विवादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण धारा 42(ए) के प्रतिकूल नहीं है। अपीलांट द्वारा शमन राशि जमा करवा दी गई है। धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन की कार्यवाही पूर्ण की जावे। पूर्व में जमा राशि को समायोजित कर ली जावे। अगर कोई अन्तर राशि हो तो अपीलांट से जमा करवा ली जावे।

माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 14–3–16 की पालना में डी0आर0ए0 द्वारा अन्तर राशि के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट कमांक 465 दिनांक 15–2–17 के अनुसरण में अन्तर राशि जरिये चालान जमा हो चुकी है।

अतः वाके चक 33 एम एल मु0 नं0 27 की 12.10 बीघा भूमि का बेचान जो जरिये बैयनामा दिनांक 26–2–73 को निम्नानुसार किया गया है :–

1. साधुसिंह, बोगासिंह,चन्दसिंह, हरबंशसिंह पि0 मितसिंह 1/6 हिस्सा
2. मिठुसिंह, तेजासिंह, गुरमेलसिंह, गोविन्दसिंह पि0 मुन्शासिंह 1/6 हिस्सा
3. गुरदेवसिंह, साहबसिंह, अजायबसिंह, नायबसिंह, बगड़सिंह,जगदेवसिंह पि0 हाकमसिंह ब.हि.ब.1/6 हिस्सा
4. गुरदीपसिंह, हकीमसिंह, जीतसिंह, हरमीतसिंह, मखनसिंह, सरजीतसिंह, नन्दसिंह पिसरान विचित्रसिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा

Lesvo
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

02
2018-

A6
5

5. नत्थासिंह, बलविन्द्रसिंह, निर्मलसिंह, गुरप्यारसिंह, अर्जनसिंह पिसरान कृष्णसिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा

6. मेहरसिंह, अजमेरसिंह, तोलासिंह पिसरान संतासिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा

अकवाम जटसिख सकनाए 33 एम एल तहसील रायसिंहनगर

को, माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 14–3–16 की पालना में धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन किया जाकर विधिमान्य घोषित किया जाता है।

तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश का राजस्व अभिलेखो में अंकन किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 17–03–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

17/3/17

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner